

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 99/TG-I/20/P

New Delhi, dated 11.08.1999

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

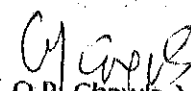
(Commercial Circular No. 25 of 1999)

Sub: Booking of accommodation on HORL.

The entitlement of High Official Requisition (HOR) holders when travelling by Rail has been given in Annexure 'F' of IRCA Coaching Tariff No. 25 Part I (Volume I).

It has come to the notice of the Board that sometimes the number of berths booked by Reservation Clerks in favour of HOR holders is more than their entitlements. Board desire that the staff working on the counters for issuing tickets against HOR should be made fully conversant with the entitlement of HOR holders as per Annexure 'F' of IRCA Coaching Tariff referred to above. A copy of IRCA Coaching tariff No. 25 Part I (Volume I) should always be available at these counters. Any lapse on this account should be viewed seriously.

Please acknowledge receipt.


(O.P. Chawla)
Joint Director, Traffic Commercial(G),
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड

सं० ११/वि.जी-१/२०/पी

नयी दिल्ली, दि० ११.८.९९

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

॥ १९९९ का वाणिज्य परिपत्र सं० २५ ॥

विषय:- उच्च अधिकारियों के मांगपत्र ॥ एच.ओ.आर ॥ पर स्थान की बुकिंग.

उच्च अधिकारियों के मांगपत्र ॥ एच.ओ.आर ॥ धारकों की रेल द्वारा यात्रा की पात्रता भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची सं० २५ भाग-१ ॥ जिल्द-१ ॥ के अनुबंध "च" में दी गई है.

यह बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि कई बार आरक्षण लिपिकों द्वारा उच्च अधिकारियों के मांगपत्र धारकों के पक्ष में बुक की गई शायिकाओं की संख्या उनकी पात्रता से अधिक होती है. बोर्ड चाहता है कि उच्च अधिकारियों के मांगपत्र पर टिकटें जारी करने के लिए काउंटरों पर कार्यरत कर्मचारियों को उपर्युक्त भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची के अनुबंध "च" के अनुसार उच्च अधिकारियों के मांगपत्र धारकों की पात्रता के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाए. इन काउंटरों पर भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची सं० २५ भाग-१ ॥ जिल्द १ ॥ हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए. इसमें किसी भी प्रकार की गलती की गंभीरता पूर्वक जांच की जाए.

कृपया पावती दें.

आ.पी.चाक्ला
॥ ओ.पी.चाक्ला ॥
संयुक्त निवे., याता.वाणि ॥ सा ॥
रेलवे बोर्ड.